हुक्म	[illegible]	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
03/06/23	पत्रावली प्रशासन गॉवो के संग अभियान शिविर मरमी मे पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं हाजिर। पेरोकार सरकार हाजिर। तहसीलदार राशमी के पत्रांक/भू०अ०/2023/175 दिनांक 03.06.2023 से जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन किया गया कि ग्राम मरमी के मदनलाल ने अपने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नाम मदनमोहन पिता बद्रीलाल ब्राह्मण के बजाय मदनलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण करवाने हेतु आवेदन की जॉच पटवारी हल्का मरमी, भू०अ०नि० रूप से करवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थी का सही नाम मदनलाल ही है बचपन मे बोलचाल मे मदन-मोहन ही कहते थे जिससे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गया, किन्तु प्रार्थी के सभी दस्तावेजो मे मदनलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे भी मदनमोहन व मदनलाल एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र भी दिया है। जो संलग्न है। अत: राजस्व रेकार्ड ग्राम मरमी मे दर्ज खाता संख्या 112, 113, 115, 217, 114, 218, 357 में दर्ज मदन मोहन पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी के बजाय मदनलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी दर्ज किया जाना उचित है। जिसे रेकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु मजमे आम में निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम मदन मोहन पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी के बजाय मदनलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी [illegible] स्वीकार किया जाना उचित [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Neeta Vaseeta Date: 2023.07.07 16:39:15 IST Reason: SelfAttested (नीता वसीटा) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	मय सं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की त[illegible] में जारी हु[illegible]
	अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे मदन मोहन पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी के बजाय मदनलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी किये जाने का आदेश दिया जाता है। —! क्रियात्मक आदेश :— तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि मौजा मरमी पटवार हल्का मरमी की जमाबंदी संवत् 2076-77 के खाता संख्या 112, 113, 114, 115, 217, 218, 357 में दर्ज मदनमोहन पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी के बजाय मदन[illegible] [illegible] बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मरमी किया [illegible] [illegible] (राजस्व ग्राम प्र.गा.के स. शि. मरमी) में सुनाया गया। (नीता व[illegible]) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.07.07 16:39:15 IST
Reason: SelfAttested